

अधिसूचना संख्या एफ. (1) श्रम/67, पार्ट-1। दिनांक 27,1985

राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1958 के नियम 2 के उप नियम (1) के अनुच्छेद (घ) के साथ राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्थान अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम, 31 सन 1958) की धारा 28 (क) की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस संबंध में पूर्व प्रसारित अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए निम्न अधिकारियों को उनके समक्ष अंकित क्षेत्रों के लिए नियोजकों द्वारा पदच्युत या सेवानिव्रत किए गए वक्तियों की शिकायतें सुनने हेतु एतद द्वारा विहित प्राधिकारी (प्रेसकराइब्ड आथोरिटी) नियुक्त करती है -

| क्रम संख्या | अधिकारी                        | क्षेत्र जिसके लिए नियुक्त किया गया                          |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                              | 3                                                           |
| 1           | संयुक्त श्रम आयुक्त जयपुर      | जयपुर तथा टोंक जिले                                         |
| 2           | सहायक श्रम आयुक्त जयपुर        | जयपुर शहर को छोड़कर जयपुर तथा टोंक जिले                     |
| 3           | संयुक्त श्रम आयुक्त कोटा       | कोटा, बूंदी एवं झालावाड़ जिले                               |
| 4           | उप श्रम आयुक्त, जोधपुर         | जोधपुर, जैसलमर तथा बाड़मेर जिले                             |
| 5           | उप श्रम आयुक्त, उदयपुर         | उदयपुर एवं डुंगरपुर जिले                                    |
| 6           | उप श्रम आयुक्त, भरतपुर         | भरतपुर, सवाईमाधोपुर एवं धौलपुर जिले                         |
| 7           | उप श्रम आयुक्त, भीलवाड़ा       | भीलवाड़ा एवं चित्तोडगढ़                                     |
| 8           | उप श्रम आयुक्त, बीकानेर        | बीकानेर, चुरू एवं नागौर जिले (परबतसर एवं नावा तहसील छोड़कर) |
| 9           | उप श्रम आयुक्त, अजमेर          | अजमेर जिला एवं परबतसर नावा तहसील (नागौर जिला)               |
| 10          | उप श्रम आयुक्त, अलवर           | अलवर जिला                                                   |
| 11          | उप श्रम आयुक्त, पाली           | पाली, जालोर एवं सिरोही जिले                                 |
| 12          | सहायक श्रम आयुक्त, बांसवाड़ा   | बांसवाड़ा जिला                                              |
| 13          | सहायक श्रम आयुक्त, श्रीगंगानगर | श्रीगंगानगर जिला                                            |
| 14          | सहायक श्रम आयुक्त, सीकर        | सीकर एवं झुंझुणु                                            |